'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराया जाना।

1. प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के अंतर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व स्ववित पोषित महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं इस योजना से आच्छादित की जाएंगी।
2. वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण विभाग, संस्कृति विभाग, खेल विभाग, पशुधन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, न्याय विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग एवं आयुष विभाग द्वारा भी विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहें हैं।
3. **शैक्षणिक सत्र 2025-26 में समस्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं,** जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हों, उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा।
4. ऐसे पाठ्यक्रमों जिसमें सीजीपीए की व्यवस्था लागू है, में स्नातक में प्राप्त सीजीपीए को सम्बंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा।
5. ऐसी छात्राएं, जिनके परिवार की आय रू0 12.00 लाख तक हो, को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा।
6. राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत छात्राओं में से जिनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण किया गया है, की पात्रता सूची विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी।
7. विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से सूची को लाभार्थीवार अलग-अलग ई-हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित किया जाएगा।
8. योजना के अंतर्गत स्कूटी के वितरण हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा एन0आई0सी0 के माध्यम से एक पोर्टल विकसित कराया जा रहा है।
9. पोर्टल लाइव होने की तिथि से एक सप्ताह में पात्रता और लक्ष्य के अनुसार सूची विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी तथा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को पोर्टल पर फॉरवर्ड की जायेगी।
10. पोर्टल पर जनपदवार सम्बंधित जिलाधिकारी को उक्त पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा और सत्यापन

के उपरान्त पोर्टल पर ही चयनित वैंडर के माध्यम से छात्राओं को स्कूटी का आवंटन भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाएगा।

11. वितरण के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा छात्राओं से स्कूटी की प्राप्ति का प्रमाण प्राप्त कर उसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

12. वैंडर द्वारा प्रत्येक जिले में सर्विस सैंटर बनाया जाएगा और एक शिकायत निवारण पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिसमें संबंधित जिलाधिकारी और निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के लिए डैशबोर्ड और छात्राओं के लिए शिकायत पंजीकृत करने की व्यवस्था होगी।

13. छात्रा द्वारा उक्त आवंटित स्कूटी का किसी भी दशा में विक्रय नहीं किया जाएगा।